मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,जबलपुर

रिट याचिका संख्या 438/1997

आलोक कुमार सूर

लेखा अधिकारी

नगर पालिका परिषद जगदलपुर

पिता श्री के.पी.सूर, आयु 41 वर्ष याचिकाकर्ता

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. मध्य प्रदेश राज्य
   द्वारा सचिव
   स्थानीय स्वशासन
2. निदेशक , स्थानीय स्वशासन
   मध्य प्रदेश, भोपाल
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद जगदलपुर
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   उप क्षेत्र विकास प्राधिकरण
   चिरमिरी

उत्तरवादीगण

याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 एवं 227 भारतीय संविधान

2006:सी.जी एच सी :6324

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 438/1997

याचिकाकर्ता: आलोक कुमार सूर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश के.अग्निहोत्री,**

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 1 व 2 की ओर से श्री ए.एस.कछवाहा शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 3 व 4 की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(4 दिसंबर, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के.अग्निहोत्री द्वारा** पारित किया गया।

1. याचिकाकर्ता को वर्ष 1976 में सहायक लेखापाल/प्रधान सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। जुलाई 1992 में याचिकाकर्ता को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 25/11/1992(अनुलग्नक ए/5) को याचिकाकर्ता को लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।

2. .तत्पश्चात, जुलाई 1996 को, उप निदेशक, संपरीक्षा के कार्यालय ने, याचिकाकर्ता को लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने पर आपत्ति की, क्योंकि लेखा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं था। इस प्रकार, जिस पद अर्थात सहायक लेखा अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता कार्यरत था और जिस पद अर्थात लेखा अधिकारी पर याचिकाकर्ता को 25 /

11 / 992 से पदोन्नत किया गया था, उक्त अवधि के बीच के, वेतन की राशि का अंतर उससे वसूल किया जाना था ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया कि याचिकाकर्ता ने 04/11/1996 को लेखापरीक्षा आपत्ति पर, अपना अभ्यावेदन (अनुलग्नक ए/6) प्रस्तुत किया था । याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.7.1996 (अनुलग्नक ए/1), 7.11.1996 (अनुलग्नक ए/2), 17.10.1996 (अनुलग्नक ए/3) और 23.12.1996 (अनुलग्नक ए/4) के आदेशों को रद्द करने के लिए यह याचिका दाख़िल की है, जहाँ उत्तरवादीगण द्वारा, समुचित जांच और गणना के बाद, याचिकाकर्ता को लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 25.11.1992 से उसकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप किए गए भुगतान की वसूली, का निर्देश दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि जब याचिकाकर्ता को लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, तब वह विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चिरमिरी में पदस्थ था। उसके बाद याचिकाकर्ता को जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह 03/02/1996 से काम कर रहा था। आगे उन्होंने निवेदित किया कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति शासन के नियमों और परिपत्रों के अनुसार की गई थी और 03/02/1996 से याचिकाकर्ता को जगदलपुर में लेखा अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थ किया गया था। इसके बाद यह भी निवेदित किया याचिकाकर्ता ने वास्तव में लेखा अधिकारी के पद पर अपने कर्तव्यों का पालन किया है। इस प्रकार,उत्तरवादीगण किसी भी राशि को वसूलने के अधिकारी नहीं हैं, जो याचिकाकर्ता को लेखा अधिकारी के पद पर कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए भुगतान की गई थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वहीं दूसरी ओर उत्तरवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया।

6. **साहिब राम विरुद्ध हरियाणा राज्य और अन्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 5 में यह अभिनिर्धारित किया है:

5. बेशक अपीलार्थी के पास आपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इन परिस्थितियों के अपीलार्थी शिथिलीकरण पाने का हकदार नहीं है। प्राचार्य ने उसे शिथिलता देने में गलती की थी। शिथिलता प्रदाय की तिथि से अपीलार्थी को संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा था। हालांकि, यह अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी दुर्व्यपदेशन के कारण नहीं था कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, बल्कि प्राचार्य द्वारा गलत व्याख्या की गई थी जिसके लिए उसे दोषी नही ठहराया जा सकता । इन परिस्थितियों में अपीलार्थी से, अब तक उसे भुगतान की गई राशि वसूल नहीं की जा सकती .... ।'

7. सर्वोच्च न्यायालय ने **पुरुषोत्तम लाल दास और अन्य** विरुद्ध **बिहार राज्य एवं अन्य**[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **साहिब राम** विरुद्ध **हरियाणा राज्य**[1],**बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य** विरुद्ध **विजय बहादुर और अन्य**[3] तथा **कर्नाटक राज्य और अन्य** विरुद्ध **मैंगलोर विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ और अन्य**[4] के मामलों में पारित निर्णयों पर विचार करने के पश्चात यह सम्प्रेक्षण किया कि पदोन्नति पदों के संबंध में पहले से भुगतान की गई राशि से कोई वसूली नहीं की जाएगी। हालांकि, संबंधित अवधि के संबंध में कोई बकाया या अन्य वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. इस न्यायालय ने **विद्याधर तिवारी** विरुद्ध **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[5] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसके द्वारा प्राप्त राशि, को वह अपने वेतन के अनुसार समायोजित कर अभिक्रियान्वित कर सकता था। इस स्तर पर याचिकाकर्ता के पेंशनिक फायदे से अभिकथित अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा।

9. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को 25/11/1992 को लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को भी क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, अर्थात 3/2/1996 को याचिकाकर्ता को जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया गया और उसने लेखा अधिकारी के रिक्त पद पर कार्य किया। याचिकाकर्ता लेखा अधिकारी के पद

अविछिन्न रूप से कार्य संपादित कर रहा है, यहाँ तक कि आज भी कार्यरत है। इस प्रकार मैं इस सुविचारित राय पर हूं कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं थी । दूसरी ओर यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता ने लेखाधिकारी के पद पर अपने कर्तव्यों का पालन किया था । याचिकाकर्ता से राशि की वसूली का निर्देश देने का कोई कारण नहीं है।

10. उपरोक्त पूर्वगामी को दृष्टि में रखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 29/7/1996 (अनुलग्नक ए/1), 7/11/1996 (अनुलग्नक ए/2), 17/10/1996 (अनुलग्नक ए/3) और 23/12/1996 (अनुलग्नक ए/4) के आक्षेपित आदेश रद्द किए जाते हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

हस्ताक्षर

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by: Tapan Kumar Saha, Advocate

{ 1995 Supp (1) SCC 20[1]} { 1995 सप्लीमेंट्री (1) एस.सी.सी. 20[1] }

{ JT2006 (12) SC 581[2] } { जे.टी.2006 (12) एस.सी. 581[2] }

{ 2000 (10) SCC 99[3] } { 2000 (10) एस.सी.सी. 99[3] }

{ JT 2002 (2) SC 419; 2002 (3) SCC 302[4] }{ जे.टी. 2002 (2) एस.सी. 419; 2002 (3) एस.सी.सी. 302[4] }

{ 2006 (1) MPHT 105 (CG)[5] } { 2006 (1) एम.पी.एच.टी. 105 (सी.जी.)[5] }